छत्तीसगढ़ अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम एवं विवरण पत्रिका

इस विवरण पुस्तिका में छत्तीसगढ़ के उदय प्रसाद उदय, शासकीय पॉलीटेकनिक दुर्ग, किरोडीमल,शासकीय पॉलीटेकनिक,रायगढ, शासकीय पॉलीटेकनिक, कोरबा के अंशकालीन इंजीनियरिंग पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश संबंधी सामान्य नियमावली एवं पात्रताओं का विवरण दिया गया है ।

विवरण पुस्तिका में प्रस्तुत प्रवेश संबंधी सभी नियम एवं पात्रताओं में, आवश्यकतानुसार समय-समय पर राज्य शासन छत्तीसगढ़ अथवा आयुक्त/संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा पाठ्यक्रम के उपयुक्त संचालन हेतु संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है, इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन अथवा आयुक्त/संचालक, तकनीकी शिक्षा का निर्णय सर्वमान्य होगा।

1. **पाठ्यक्रम** :- उपरोक्त संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रवेश स्थान निम्नानुसार हैः-

क्र.	पॉलीटेकनिक का नाम	पाठ्यक्रम	अवधि	स्थानों की संख्या
1.	उ.प्र.उ., शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग	1. सिविल इंजीनियरिंग	आठ सेमेस्टर	20
		2. मेकेनिकल इंजीनियरिंग	आठ सेमेस्टर	40
		3. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	आठ सेमेस्टर	40
2	किरोडीमल,शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ	1. सिविल इंजीनियरिंग	आठ सेमेस्टर	40
		2. मेकेनिकल इंजीनियरिंग	आठ सेमेस्टर	80
		3. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	आठ सेमेस्टर	80
3.	शासकीय पॉलीटेकनिक, कोरबा	1. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग	आठ सेमेस्टर	60
		2. मेकेनिकल इंजीनियरिंग	आठ सेमेस्टर	60
		3. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	आठ सेमेस्टर	60

एक वर्ष में 6 माह अवधि के दो सेमेस्टर होंगे। प्रथम सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि प्रति वर्ष घोषित की जावेगी तथा उसके पूर्व प्रवेश कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। संस्था की कार्य अवधि प्रत्येक सेमेस्टर में प्रतिदिन सायंकाल 5.30 से 9.30 बजे रात्रि तक सभी कार्यदिवसों में होगी । प्रवेश क्षमता की संख्या में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा सत्र 2018-19 के लिए प्रदत स्वीकृति के अनुरूप परिवर्तन हो सकता है।

नोटः- यदि किसी पाठ्यक्रम में चयनित आवेदकों की संख्या 10 से कम होगी तो प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

2. **स्थानों का आरक्षण** :-

प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत, 32 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत उर्ध्वाधर तथा महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नियमानुसार रहेगा ।

2.1.1 अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों की जानकारी श्रेणीवार निम्नानुसार हैः-

क्र	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सामान्य		अनु.जाति		अनु. जनजाति		अन्य पिछडा वर्ग		योग	
			पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म
1.	उदय प्रसाद उदय, शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग	1.सिविल इंजीनियरिंग	06	02	02	01	04	02	02	01	14	06
		2.मेकेनिकल इंजीनियरिंग	12	05	03	01	09	04	04	02	28	12
		3.इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	12	05	03	01	09	04	04	02	28	12
2.	किरोडीमल, शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ	1.सिविल इंजीनियरिंग	12	05	03	01	09	04	04	02	28	12
		2.मेकेनिकल इंजीनियरिंग	24	10	06	03	18	08	08	03	56	24
		3.इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	24	10	06	03	18	08	08	03	56	24
3.	शासकीय पॉलीटेकनिक, कोरबा	1.इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग	18	07	05	02	13	06	06	03	42	18
		2.मेकेनिकल इंजीनियरिंग	18	07	05	02	13	06	06	03	42	18
		3.इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	18	07	05	02	13	06	06	03	42	18

नोटः- आरक्षण की स्थिति शासन व्दारा निर्धारित अद्यतन नियमों के अधीन रहेगी ।

2.1.2 ऐसे उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में होने का दावा करता है उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः-

(अ) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थायी जाति प्रमाण पत्र

और

(ब) नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र.

यदि ऐसा शपथ पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया अथवा जानकारी जांच के उपरान्त गलत पायी गई तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा या उसने प्रवेश पा लिया है, तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा ।

2.1.3 अन्य पिछडी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी :-

ऐसा उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ की अन्य पिछडी जाति (ओ.बी.सी.) श्रेणी में होने का दावा करता है उसे निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी से स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणीः-

(अ) उम्मीदवार विभिन्न श्रेणियों में से केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो उससे संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स) आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी की योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जावेगी।

टिप्पणीः-

1 किसी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त सीट उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार किसी प्रवर्ग (श्रेणी) के अंतर्गत आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर इन वर्गो के रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।

2 किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को अन्य प्रवर्ग में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक महाविद्यालय (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तित कर भरा जाएगा।

3. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश तथा पात्रता की शर्तेः-

3.(ए) उम्र :- ऐसे उम्मीदवार जो अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, उनकी उम्र प्रवेश के वर्ष में 01 जुलाई को कम से कम बीस वर्ष होना चाहिए ।

3.(बी) योग्यता :- आवेदक उम्मीदवार को कम से कम छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से 10+2 प्रणाली की दसवी कक्षा परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा गणित एवं विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

टीपः- किसी भी उम्मीदवार को उच्च्य सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जावेगा भले ही वह उच्च्य शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

3.(सी) अनुभव :- उम्मीदवार को आवश्यक रूप से पूर्णकालिक नियमित या संविदा सेवा के वेतनमान में होना चाहिए। अभ्यर्थी तकनीकी सेवा की परिभाषा के अनुरूप शासकीय सेवा, सार्वजनिक या निजी प्रतिष्ठान/उद्योग या तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय तथा उसके पश्चात पढ़ाई की अवधि में सेवारत रहे।

टीप 1:- ऐसे उम्मीदवार जो अंशकालीन तकनीकी सेवा या प्रशिक्षण या सेवा पूर्व का प्रशिक्षण अथवा अप्रेंटिसशिप (भत्ते सहित) के रूप में उपरोक्त (3सी के अंतर्गत) किसी भी संस्थान में कार्यरत है को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।

2:- ऐसे उम्मीदवार जो, यद्यपि तकनीकी सेवा में हैं, परंतु उनकी सेवा आवेदित पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं हैं अथवा जिनकी सेवा में पदोन्नति अथवा व्यावसायिक प्रगति का संबंध उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप या संबंधित नहीं है उनको प्रवेश की पात्रता नहीं है।

3:- ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रवेश तकनीकी सेवा में होने के आधार पर होगा, उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में प्रवेश के समय तकनीकी सेवा की निरंतरता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4:- उम्मीदवार की तकनीकी सेवा का स्थल शिक्षण संस्था पॉलीटेकनिक से 60 कि.मी. की परिधि में होना चाहिए।

5:- वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन रद्द हो जावेगा।

6:- दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों/हेल्परों को जिनकी सेवा नियमित श्रेणी में नहीं आती प्रवेश की पात्रता नहीं होगी चाहे उनकी सेवा शर्ते कुछ भी हो।

परिभाषाऐं:-

(1) **तकनीकी सेवायें** :- इन नियमों के लिए तकनीकी सेवा का तात्पर्य पूर्णकालिक एवं निर्धारित वेतनमान में नियमित सेवा से है, जिसकी जांच कभी भी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा की या करवाई जा सकती है के निष्पादन में इस प्रकार के कार्य किये जाते हैं, जिसमें कि शारीरिक, मानसिक तथा मानवीय कुशलता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता हो प्राचार्य द्वारा जांच करने पर यदि यह पाया गया कि वह तकनीकी सेवा से संबंधित कार्य नहीं करता है तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

टीप:-1 जब तक पद का कार्य का स्वरूप तकनीकी नही है उसे तकनीकी सेवा का कर्मचारी नहीं माना जावेगा भले ही पद का नाम या स्वरूप उस प्रकार का परिलक्षित होता हो, उम्मीदवार को चयन योग्य तब ही समझा जावेगा जब वह तकनीकी दृष्टि से सक्षम होगा।

(2) उद्योग/प्रतिष्ठान/फर्म् :- इन नियमों के लिए उद्योग/प्रतिष्ठान या फर्म से तात्पर्य उस संस्थान से है जो फैक्ट्री एक्ट या छत्तीसगढ़ लघुउद्योग निगम या छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग से पंजीकृत हो।

टीप:-1 स्थानीय संस्थाओं में व्यवसायिक स्थल के रूप में पंजीकृत उद्योग/फर्म/प्रतिष्ठान इन नियमों के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे

(3) दीर्घ/लघु उद्योग के रूप में रजिस्ट्र्ड फर्म एवं सोसायटी के अंर्तगत पंजीकृत प्रतिष्ठान या उद्यम में कार्यरत उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उक्त फर्म/उद्यम या प्रतिष्ठान में उत्पादन/मरम्मत/अनुरक्षण /तकनीकी निर्माण संबंधी कार्य संपन्न होते हैं, यह मात्र एक औपचारिक व्यापारिक केन्द्र ही नहीं है, अतः इस आशय का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति पंजीकृत फर्म एवं सोसायटी को भी देनी होगी इसकी जांच भी की जावेगी।

फैक्ट्री एक्ट के अनुसार नौकरी संबंधी सभी प्रमाण जिले के लेबर आफिसर/कार्यपालन यंत्री/संभागीय यंत्री/नगर अभियंता/स्टेट मेनेजर/विद्युत निरीक्षक जो लागू हो द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।

(4) स्वरोजगारी:- उम्मीदवार के लिए छूट की पात्रता होगी यदि उम्मीदवार किसी ऐसे वर्कशाप को संचालित करता हो जिसमें इंजीनियरिंग पर आधारित कर्मशाला मरम्मत रखरखाव तथा उत्पादन के कार्य संपन्न होते हैं जो नियम 3 (सी) के अंतर्गत दी गई परिभाषा ''2'' के अनुसार पंजीकृत है ।

(5) ऐसे उम्मीदवार, जो तकनीकी सेवा के अंतर्गत किसी सिविल ठेकेदार के पास पूर्ण कालिक सेवा में है, सिविल ठेकेदार पंजीकृत ''ए'' या ''बी'' वर्ग के ठेकेदार के रूप में (वर्तमान एवं पूर्व के पंजीयन की फोटो कापी प्रवेश प्रपत्र के साथ अवश्य प्रस्तुत करें) हो तथा ऐसे ठेकेदार के पास उम्मीदवार का तकनीकी सेवा में होने का प्रमाण पत्र/किसी राज्य शासन/केन्द्र शासन/सार्वजनिक प्रतिष्ठान के अधिकारी जो कि कार्यपालन यंत्री/संभागीय अभियंता/नगर अभियंता/गैरीसन इंजीनियर के रूप में उस कार्य का प्रभारी हो जिसमें उम्मीदवार कार्यरत है प्रस्तुत करे। तकनीकी सेवा में होने का प्रमाण पत्र उपरोक्त कार्यपालन यंत्री/संभागीय अभियंता/नगर अभियंता/गैरीसन इंजीनियर द्वारा जॉच के पश्चात प्रतिहस्ताक्षरित हो । यदि उम्मीदवार स्वयं ठेकेदार है तो उपयुक्त अधिकारी के अंतर्गत उसका पंजीयन होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। आर्किटेक्ट के पास कार्यरत उम्मीदवार को प्रवेश में पात्रता नहीं होगी।

(6) ऐसे उम्मीदवार, जो किसी विद्युत ठेकेदार के पास विद्युतकार टेकनीशियन पर्यवेक्षक के रूप में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हैं उन्हें अपना सेवा प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ विद्युत लायसेंसिंग बोर्ड के विद्युत निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित कराना है साथ ही उस विद्युत ठेकेदार को भी जिस के पास उम्मीदवार कार्य करता है छत्तीसगढ़ विद्युत लायसेंसिंग बोर्ड के पास पंजीयन होना आवश्यक है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोकापी भी संलग्न करें यदि उम्मीदवार स्वयं विद्युत ठेकेदार है तो उसे भी इसी तरह उपयुक्त बोर्ड के अंतर्गत पंजीयन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(7) यदि उम्मीदवार इलेक्ट्रीशयन पर्यवेक्षक के रूप में किसी मेकेनिकल इंजीनियरिंग कर्मशाला/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर्मशाला/फैक्ट्री/प्रतिष्ठान में कार्यरत है तो वो तभी पात्र होगा जब वह कर्मशाला/फैक्ट्री/फर्म/प्रतिष्ठान नियम 3 (सी) के अंतर्गत दी गई परिभाषा ''2'' के अनुसार पंजीकृत हो साथ ही इसी परिभाषा की टीप 2 को भी पूर्ति करता हो तथा विद्युत सामग्री/मशीन/उपकरण इत्यादि के उत्पादन अधिकृत (लायसेंसधारी) हो, ऐसे उम्मीदवार को अपना सेवा प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ विद्युत लायसेंसिंग बोर्ड के विद्युत निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना होगा। यदि उम्मीदवार ने इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में आई.टी.आई. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है तो उसे उपरोक्त लायसेंसिंग अथारिटी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाने की आवश्यकता नहीं है।

(8) मोटर गैरेज, आटो रिपेयर शाप,छोटे कर्मशाला सायकिल रिपेयर शाप एवं इस प्रकार के संस्थान परिभाषा के अनुसार उद्योग/फर्म /प्रतिष्ठान के रूप में इन नियमों के अंतर्गत नही माने जावेंगे जब तक कि वे उपरोक्त परिभाषा (2) टीप (2) के अनुसार पंजीकृत नहीं हों।

(9) केवल शासकीय विभाग में कार्यरत समयपाल ही तकनीकी सेवा में माने जावेंगे यदि उनके विभागीय प्रमुख स्पष्टतः उनके कार्य के तकनीकी स्वरूप को प्रमाणित करें ।

3(डी). अनुभव :- उम्मीदवार को कम से कम दो वर्षो की नियमित अथवा संविदा सेवा के आधार पर तकनीकी सेवा का अनुभव आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। यदि आवेदक एक से अधिक प्रतिष्ठानों का अनुभव पत्र प्रस्तुत करता है तो उससे प्रत्येक अनुभव प्रमाण पत्र को प्रवेश फार्म में दिये गए नियोक्ता एवं प्रति हस्ताक्षर प्रपत्र अलग अलग प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिससे कुल अनुभव की गणना की जा सके। अनुभव की गणना के लिए अधिमान तभी मान्य होगा जबकि तकनीकी अनुभव प्रमाण पत्र संतोषजनक हो और जिसमें पद एवं वेतन प्राप्त करने का स्पष्ट उल्लेख हो और कार्यावधि का समय भी दर्शाना आवश्यक है।

4. **प्रवेश प्रक्रिया** :-

प्रवेश हेतु आवेदन :-प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के लिए निर्धारित विवरण पुस्तिका संबंधित संस्था के प्राचार्य से नगद तीन सौ रूपये जमा कर प्राप्त की जा सकती है। उम्मीदवार संबंधित संस्था के प्राचार्य को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्रों का होना अनिवार्य हैः-

1. संस्थान जहाँ आवेदक कार्यरत है वहाँ के कार्यालय द्वारा अग्रेषित पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए।
2. अर्हकारी एवं उससे उंची परीक्षा की अंकसूची ।
3. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र।
4. निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र
5. छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र।
6. उम्मीदवार द्वारा पूर्ववर्ती नियुक्ति आदेश की फोटो कापी।
7. चयनोपरांत प्रवेश लेते समय उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र जिसमें अर्हता प्रमाण पत्र नियुक्ति विवरणांक जानकारी हो तथा सब सही है इस आशय का शपथ हो (दिये गए प्रारूप के अनुसार)
8. इस आशय की प्रतिबद्धता कि पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलने पर पूरे शिक्षण अवधि में अन्य किसी संस्था के अन्य पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा।
9. चयन के पश्चात प्रवेश के लिए पंजीकृत डाक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (दिये गए प्रारूप के अनुसार)
10. मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जहाँ आवेदक अंतिम रूप में अध्ययनरत था, प्रवेश के समय देना अनिवार्य है।

नोटः-उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

5. **प्रवेश हेतु उम्मीदवार का चयन एवं पात्रता** :-

1. प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों का प्राचार्य द्वारा सारणीकरण किया जावेगा।स्वीकृत प्रवेश संख्या के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश अनिवार्यतः योग्यताक्रम अनुसार दिया जावेगा।
2. ऐसे उम्मीदवार,जो कि पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं प्राचार्य उनके आवेदनों को अमान्य कर देंगे। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक को इस बावत् सूचित किया जावे। वे नोटिस बोर्ड पर सूची देख सकते हैं।
3. केवल प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पॉलीटेकनिक में निर्धारित तिथि एवं समय में चयन समिति के समक्ष आयोजित साक्षात्कार हेतु स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा, चयन समिति में तकनीकी शिक्षा संचालनालय का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा।
4. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि एवं समय में आयोजित साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी उम्मीदवारी स्वमेव निरस्त हो जावेगी।
5. साक्षात्कार के पश्चात योग्यता क्रम से तैयार की गई उम्मीदवारों की अंतिम चयनित सूची चयन समिति की अनुशंसा उपरांत प्राचार्य द्वारा जारी की जावेगी।
6. समिति द्वारा अनुमोदित एवं योग्यता क्रम के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। संबंधित उम्मीदवारों को तदानुसार संस्था में शुल्क जमा करने की तिथि तथा सेमेस्टर प्रारंभ होने की तिथि तथा समय की सूचना प्रेषित कर दी जावेगी। उम्मीदवारों को सूचना डाक द्वारा (डाक प्रमाण पत्र के अंर्तगत) भी दी जावेगी तथा डाक के विलंब अथवा गड़बड़ी हेतु प्राचार्य किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे।
7. एक पाठ्यक्रम हेतु विचारणीय उम्मीदवार को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात पाठ्यक्रम परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
8. आवेदक जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है उसी पाठ्यक्रम से संबधित संस्थान में कार्यरत होगा। उसी क्षेत्र में तकनीकी कार्य अनुभव पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं है तो उसे चयन समिति द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
9. चयनित आवेदक को एक संस्था से अन्य किसी संस्था में स्थानांतरित नहीं किया जावेगा।
10. पात्रता रखने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु, प्रवेश के लिये स्वीकृत स्थानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बुलाया जावेगा यह आवश्यक नहीं कि सभी आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाय ।

6. **देय राशि** :- देय राशि निम्नानुसार जमा की जावेगी :-

छात्र द्वारा फीस या अन्य देय राशि निर्धारित तिथि में संस्था के लेखापाल/खजांची के पास जमा कर रसीद प्राप्त करें, रसीद सावधानी से रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

7. **अवधान राशि की वापसी :-**

हमेशा के लिए संस्था छोडने वाले छात्रों को ही अवधान राशि वापस की जावेगी। छात्र पर बकाया संस्था संबंधी सभी देयों की वसूली के बाद ही रकम की वापसी की जावेगी। आवेदन पत्र के साथ मूल रसीद अवश्य संलग्न की जाना चाहिए । तीन वर्षों के भीतर अवधान राशि के लिए दावा नही किया गया तो वह राशि राजसात की जावेगी।

8. **प्रावीण्य सूची बनाना :-**

उम्मीदवारों का प्रवेश निम्नानुसार तैयार किये गए प्रावीण्य सूची के आधार पर निर्धारित होगा-

1. अर्हकारी परीक्षा (10 वीं) में प्राप्तांक या उच्च परीक्षा (10+2 वीं) में प्राप्तांक जो भी उम्मीदवार के लिए लाभप्रद हो (सौ में से) — 100
2. तकनीकी अनुभव का अतिरिक्त अंक (दस मे से) — 10

   (अ) प्रथम दो वर्ष की तकनीकी (वैद्य प्रमाण पत्र के आधार पर) अनुभव पर शून्य

   (ब) नियमित सेवा अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रथम दो वर्ष के

   अनुभव के पश्चात पात्रता होने पर (प्रत्येक अतिरिक्त पूर्ण वर्ष के लिए एक अंक अधिकतम अंक 10)
3. तकनीकी योग्यता हेतु अतिरिक्त अंक संबंधित ट्रेड के आधार पर (व्यावसायिक पाठ्यक्रम माध्यमिक प्रमाण पत्र के साथ उच्चतर प्रमाण पत्र/10वीं कक्षा के पश्चात् 2 वर्षीय आई.टी.आई. प्रमाण पत्र) — 10

   (10वीं कक्षा के पश्चात् एक वर्षीय आई.टी.आई. प्रमाण पत्र धारी को 5 अंक दिये जायेंगे)
4. अर्हकारी स्तर से अधिक योग्यता के लिए (गणित, विज्ञान सहित) — 5
5. साक्षात्कार से प्राप्तांक — 10

कुल — 135

टीप-

(अ) यदि उच्च परीक्षाओं के आधार पर सौ अंकों में प्रावीण्यता अंकों की गणना की जाती है तो उस परीक्षा के लिए अतिरिक्त अंकों के प्रभार की गणना अथवा अन्य निम्न परीक्षा के प्रभार की गणना नही की जावेगी।

(ब) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को क्रमशः 5 एवं 10 बोनस अंक (निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पर) जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

9. **उपस्थिति :-**

1. छात्रों को प्रत्येक विषय के व्याख्यानों ट्यूटोरियल प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक में 80 प्रतिशत से कम की उपस्थिति नहीं होना चाहिए अन्यथा परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. ऐसे छात्र जिन्हें क्लास वर्क, लेब वर्क या टर्म वर्क में पास होने के न्यूनतम अंक नहीं होते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
3. उपस्थिति की गणना तथा सेसनल कार्य का मूल्यांकन परीक्षा के 15 दिनों पूर्व तक की अवधि पर होगा।
4. अनुपस्थिति हेतु अवकाश की स्वीकृति छात्रों को स्वयं की जिम्मेदारी पर दिया जावेगा और डाक्टर का प्रमाण पत्र भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति के प्रतिशत में कमी को दूर नही कर सकेगा।
5. बिना पूर्व अनुमति के लगातार 14 दिन तक अनुपस्थित रहने पर आवेदक का नाम संस्था की पंजी से काट दिया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।

टीपः- विस्तृत जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई की वेबसाइट www.csvtu.ac.in में आर्डिनेंस का अवलोकन करें।

10. **परीक्षा** :- विस्तृत जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई की वेबसाइट www.csvtu.ac.in का अवलोकन करें।

11 **पुनः प्रवेश :-**

ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए या परीक्षा में रोल नंबर आबंटन होने के उपरांत नहीं बैठे थे उन्हें अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए उपलब्ध स्थानों में प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसे उपलब्ध स्थान उस संस्था में स्वीकृत प्रवेश संख्या का 10 प्रतिशत तक ही होगें। जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई की वेब साइट www.csvtu.ac.in में आर्डिनेंस का अवलोकन करें।

12 **पूर्व छात्रों का प्रवेश :-**

ऐसे उम्मीदवार जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण तथा पॉलीटेकनिक के नियमित छात्र नहीं हों उन्हें व्याख्यान या प्रेक्टिकल करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जा सकती है यदि वे 100 रूपये प्रति सत्र प्रति विषय एवं 50 रूपये प्रतिमाह प्रेक्टिकल के साथ पचास रूपये की अवधान राशि अग्रिम रूप से जमा करें। यदि उम्मीदवार पढाई बीच में बंद करता है अथवा सत्र समाप्ति के पूर्व पढाई छोड़ देता है, अग्रिम जमा राशि वापिस नहीं की जावेगी

13. **सामान्य :-**

1. उम्मीदवार कक्षा प्रयोगशाला तथा कर्मशाला में उचित परिधान में ड्रेस्ड रहे।
2. संस्था के नियम प्रवेश सूची/प्रतीक्षा कार्यालय के सूचना पटल पर लगा दिये जावेंगे जिन्हें ज्ञात करना उम्मीदवार का कर्तव्य रहेगा। अज्ञानता के कारण किसी त्रुटि के लिए क्षमा मान्य नहीं होगी।
3. उम्मीदवार किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु संस्था के प्राचार्य से संपर्क करें ।
4. यदि प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवार संस्था प्रारंभ होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है या प्राचार्य के मतानुसार बिना किसी न्याय संगत कारणों से अनुपस्थित रहता है तो वह प्रवेश के सभी अधिकार से वंचित हो जावेगा। इस आशय का शपथ पत्र उम्मीदवार द्वारा प्रवेश लेते समय निर्धारित प्रपत्र में देना होगा ।

14. **फीस एवं अन्य प्रभार :-**

1. फीस एवं अन्य प्रभार निम्नानुसार है।

स.क्र.	विवरण	रूपये
1.	प्रवेश शुल्क	50.00 प्रति वर्ष
2.	अवधान राशि	50.00 वापिस योग्य
3.	शिक्षण शुल्क	10000.00प्रति वर्ष
4.	फिजिकल वेलफेयर फीस	50.00 प्रति वर्ष
5.	क्लास टेस्ट एवं स्टेशनरी आदि शुल्क	200.00प्रति वर्ष
6.	पुनःप्रवेश शुल्क	100.00
7.	अमलगमेटेड फंड	200.00प्रति वर्ष
8.	नामांकन फीस	100.00
9.	प्रोवीजनल फीस	10.00
10.	विकास शुल्क	2000.00 प्रति वर्ष

2. परीक्षा शुल्क एवं अन्य प्रभार छत्तीसगढ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अनुसार प्राचार्य द्वारा परीक्षा शुल्क एवं अन्य प्रकार की सूचना जारी की जावेगी।
3. शिक्षा शुल्क में राज्य शासन के निर्देशानुसार किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकेगा और इस प्रकार किये गए परिवर्तन को संबंधित शैक्षणिक सत्र से लागू माना जावेगा।

15. **आचार संहिता** :-

1. अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रत्येक छात्र का व्यवहार सदैव अच्छा रहेगा परिश्रम पूर्वक अध्ययन करेगा, शिष्टाचार तथा गरिमा बनाए रखेगा सहपाठचरों कार्यक्रमों में समुचित रूप से भाग लेगा और उस संस्था के अनुशासन संबंधी सभी नियमों का पालन करेगा जिसका वह छात्र है।

   शिक्षण शुल्क की राशि स्ववित्तीय योजना के आधार पर अस्थाई रूप से निर्धारित की गई है।

   शिक्षण शुल्क की राशि भविष्य में बढ़ाई जा सकती है।

2. जब कोई छात्र संस्था के भीतर या बाहर अनुशासन भंग करने का दोषी पाया जायेगा तो उस संस्था का प्रमुख जिसमें वह अध्ययन करता है अपराध के स्वरूप ओर गंभीरता के अनुसार :-

   अ. ऐसे छात्र को एक समय में एक सप्ताह कक्षा में भाग लेने से निलंबित कर सकेगा।

   या

   ब. ऐसे छात्र को अगली परीक्षा में भाग लेने से अनर्ह घोषित कर सकेगा।

   स. ऐसे छात्र को संस्था से निकाल (एक्सपेल) सकेगा।

   द. ऐसे छात्र को निष्कासित (रेस्टीकेट) कर सकेगा।

3. अ. उपरोक्त कोई दंड देने के पूर्व संस्था प्रमुख संबंधित छात्र को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगा और दंड देने के कारणों को लेखन करेगा।

ब. संबंधित संस्था के प्रमुख को किसी भी छात्र को किसी अभिकथित अपराध के संबंध में उसकी आचरण की जॉच होने तक संस्था में अस्थाई रूप में ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक हो निलंबित करने का अधिकार रखेगा।

स. परीक्षा में बैठने के लिए छात्र की उपस्थिति की अवधि की गणना करते समय उस अवधि की भी गणना की जावेगी जिसके दौरान छात्र की जॉच पूरी होने तक निलंबित रहा हो, बशर्ते वह निर्दोष पाया जावे ।

द. किसी छात्र को जिसे निष्कासित कर दिया हो (छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय भिलाई क्षेत्राधिकार के अंर्तगत आनें वाली) किसी भी अन्य संस्था में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। साधारणतः निष्कासन की अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, अन्य पॉलीटेकनिक में निष्कासन की सूचना भेज दी जावेगी।

इ. यदि छात्र को संस्था से निष्कासित कर दिया जाता है तो उसका नाम नामांकित छात्रों के रजिस्टर से निकाल दिया जावेगा।

16. अ. **निकाला जाना :-**

संबंधित पॉलीटेकनिक के प्राचार्य को निम्नलिखित कारणेां में या सभी कारणों में से किसी भी छात्र का नाम संस्था के रजिस्टर से निकाल देने का अधिकार होगा--

1. यदि यह पता चले कि प्रवेश नियमों या उपबंधों का उल्लंघन करते हुए या प्रवेश कपटपूर्वक लिया गया था या आवेदन पत्र में या उसके संलग्न सहपत्रों में गलत जानकारी देकर लिया गया था।
2. निर्धारित समय के भीतर देय राशियों का भुगतान न करने पर।
3. वांछित स्तर पर या/और प्रवीणता प्राप्त न करने पर।
4. प्राचार्य के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्था और/या कक्षाओं से लगातार अनुपस्थित होने पर।
5. आचरण संतोषजनक न होने पर।
6. बाद में ज्ञात होने पर कि छात्र तकनीकी पद पर नियमित सेवा में नहीं है, तब प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

ब. **निष्कासन एवं निकालना :-**

कोई छात्र यदि अनुशासन के प्रतिकूल या किसी अन्य रूप से गंभीर दुराचरण का व्यवहार संस्था परिसर के भीतर या बाहर करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही जो कि निष्कासन भी हो सकता है का पात्र होगा।

,,,,,,,,,,,,,,,,

आवेदन–पत्र

प्रपत्र क्रमांक..........................

संस्था की मोहर

प्रथम सेमेस्टर अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम ;

रात्रिकालीन कक्षाएं मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/सिविल इंजीनियरिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन

चार वर्षीय पाठ्यक्रम,

उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज का फोटो संस्था प्रमुख एवं नियोक्ता अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।

1. आवेदक का पूरा नाम, पहले उपनाम सहित :...

2. जन्म तारीख :...

3. उम्र, 01/07/2018 को :..........................वर्ष.......................माह..................दिन................

4. लिंग : महिला/पुरूष..

5. पिता का नाम एवं व्यवसाय :...

6. स्थाई पता :...

:...

:...

7. उम्मीदवार का वर्तमान पता/(मोबाइल नं सहित) :..

जहॉ पत्राचार किया जा सके। :...

उम्मीदवार को स्वयं का पता एवं डाक टिकट लगा हुआ :...

12 X 24 सेमी. साइज का दो लिफाफा आवेदन पत्र के साथः..

प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8. उम्मीदवार की नागरिकता :...

9. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य

अन्य पिछड़ा वर्ग का है यदि हॉ तो पूर्ण विवरण एवं

निर्धारित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाण पत्र :...

10. वर्ग (स्व.सं.से./भू.पू.सैनिक/निःशक्तजन/बिनाबर्ग) :..

11. तकनीकी सेवा का विवरणः–

अ. नियोक्ता का नाम एवं पता :...

....

....

ब. आवेदन पत्र अग्रेषणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पताः...

....

....

12. उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा 10 वीं , 11 वीं अथवा 12वीं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा गणित भौतिक रसायन एवं उच्च परीक्षाओं का विवरणः-

परीक्षा का नाम	स्कूल/कालेज	बोर्ड/विश्वविद्यालय	लिए गए विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी एवं प्राप्तांक	अंकों का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1. हाई स्कूल 10						
2. हायर सेकेण्डरी 10+2						
3. हायरसेकेण्डरी 11वीं बोर्ड						

13 उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण विगत वर्षों की तकनीकी परीक्षा, आई.टी.आई या एप्रेंटिसशिप का विववरणः-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	संस्था का नाम जहॉ पढ़ते थे	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पाठ्यक्रम
1					
2					
3					

14. उम्मीदवार की नौकरी का विवरणः-

पद का नाम	से	तक	कुल अनुभव	एम्पलायर का नाम
1.	2.	3	4.	5.
1				
2				

15. नौकरी के अनुसार पाठ्यक्रम सिविल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग

16. रसीद नंबर........................... तारीख...

17. उम्मीदवार की घोषणा :-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

अ. उपरोक्त जानकारियॉ सही हैं यदि मैं गलत सूचना देने का दोषी पाया गया तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

ब. मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी गैर कानूनी संगठन से ;सक्रिय या परोक्षद्ध संबंधित रहना प्रतिबंधित है।

स. यदि मुझे प्रवेश हेतु चुन लिया जाता है तो **छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद वि.वि. भिलाई** और संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

द. मैं संस्था के समस्त नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

इ. मैं जिस संस्था में कार्यरत हूँ वहॉ के अपने नियुक्तिकर्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और मैं स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं करूंगा/करूंगी।

ब. मैंने नियोक्ता का प्रमाण पत्र उनके कार्यालय क्रमांक एवं दिनांक के द्वारा जारी किया गया है और नियमों के तहत प्रवेश की पात्रता रखता हूँ इस संबंध में शपथ पत्र फार्म के साथ संलग्न कर दिया गया है तथा आने वाले पाठ्यक्रम को पूर्ण अवधि तक वहीं पर कार्यरत रहने की संभावना है मुझे जानकारी है कि मेरा स्थानांतरण नहीं होगा जॉच के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जावे।

दिनांक ....

नोटः **अपूर्ण फार्म मान्य नहीं किया जावेगा।** **उम्मीदवार के हस्ताक्षर**

नियोक्ता का अनापत्ति/सेवा/व्यवसाय एवं अनुभव प्रमाण पत्र

(नियोक्ता द्वारा भरा जावे।)

संदर्भ क्रमांक.................. स्थान........................... दिनांक..........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... आत्मज श्री.. .... के, अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के ....इंजीनियरिंग, (इंजीनियरिंग की शाखा का नाम जिसमें प्रवेश लेना चाहते हैं) उ.प्र.उ., शासकीय पॉलीटेकनिक दुर्ग में प्रवेश मिलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ....इस विभाग/संगठन /प्रतिष्ठान/संस्थान जिसका पूरा नाम एवं पता ....है, में पूर्णकालिक तथा नियमित सेवा में /संविदा सेवा में ....के पद पर दिनांक .... से ....तक सतत कार्यरत है/था इसका मूलवेतन रूपये.......................मॅहगाई भत्ता रू..........................अन्य भत्ते..........................रूपये इस तरह कुल परिलब्धि रूपये... .है इनका नामांकन कर्मचारी भविष्य निधि खाते में दर्ज है जिसका खाता क्रमांक सी.पी.एफ/जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. क्रमांक ....है।

आवेदक की पद स्थापना ....,स्थान का नाम में है जो कि दुर्ग नगर से ....कि.मी. दूरी पर है।

आवेदक का मुख्य तकनीकी कार्य निम्नानुसार है.. ....,(आवेदक के प्रति निर्दिष्ट कार्य का विवरण दें।)

जो कि मुख्य रूप से ....का कार्य करता है।?(कार्य का नाम ॱ)

यह प्रतिष्ठान/संस्थान फैक्ट्री एक्ट/लघु उद्योग निगम/रजिस्टार फर्म एवं सोसायटीज/संचालक उद्योग विभाग/लोकनिर्माण विभाग/सिंचाई/लोकस्वास्थ यांत्रिकी रेल्वे/नगर निगम/विकास प्राधिकरण/इलेक्ट्रीकल लायसेंसिंग बोर्ड आदि के अंतर्गत पंजीकृत/लायसेंस प्राप्त है, तथा वर्तमान पंजीयन क्रमांक/लायसेंस क्रमांक ....है, पंजीयन की प्रति संलग्न करें।)

आवेदक की सेवाएं आगामी 4 वर्षो तक समाप्त होने अथवा स्थानांतरित होने की संभावना नहीं है।

टीपः- यदि नियोक्ता ठेकेदार हो तो ठेकेदारी की श्रेणी/ग्रेड संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

स्थान.. **(नियोक्ता के हस्ताक्षर)**

आवेदक का संस्था में कार्यरत रहने का प्रमाण स्वरूप पद मोहर सहित................................

दूरभाष क्रमांक..................................

ठेकेदार का पंजीयन क्रमांक......................................दिनांक.................................ग्रेड श्रेणी........ आवेदक ठेकेदार के पास कार्यरत् है ।

श्रम अधिकारी/ कार्यपालन अभियंता/विद्युत लायसेंसिंग अथारिटी/
इस्टेट मैनेजर के प्रतिहस्ताक्षर सहित ।

नाम..

पद..

टीपः-
1. आवेदक के कार्यो/कर्तव्यों का पूर्ण विवरण अपूर्ण होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
2. आवेदन नियोक्ता द्वारा अपने कार्यालयीन क्रमांक एवं दिनांक सहित संबंधित प्राचार्य पोलीटेकनिक को अग्रेषित होना चाहिए।
3. यदि आवेदक शिक्षा अवधि में नौकरी छोड़ता है ;स्वयं के इच्छानुसार अथवा निष्कासन होने पर) तो नियोक्ता से निवेदक को इसकी जानकारी संबंधित संस्था के अंशकालीन पाठ्यक्रम के प्राचार्य को अवश्य भेजें।
4. शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को प्रतिहस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है।
5. उपरोक्त में से कोई भी जानकारी अपुर्ण होने पर प्रमाणऋपत्र अमान्य किया जा सकता है ।

<u>स्वस्थता प्रमाण पत्र</u>

उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज का फोटो चिकित्सा अधिकारी द्वारा

1. नाम..
2. लिंग..
3. आयु..
4. पिता/पति का नाम..

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार श्री.............
....
का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लिया है और वह हष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ है तथा वह चिकित्सा मापदंडों के अनुसार दुरूस्त है।

चिकित्सक के हस्ताक्षर......................

नाम......................................

स्थान...............................

पंजीयन क्रमांक............................

दिनॉक...........................

(चिकित्सक की सील)

अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के साथ आवेदक द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ-पत्र

मैं ....
....

पुत्र/पुत्री/पति..
.... आयु ....

निवासी...जिला..........
........................तहसील...

का निम्नानुसार शपथ लेता हूँ कि :-

1. मैं तकनीकी पद पर नियमित/संविदा कर्मचारी के रूप में नियमित वेतनमान रूपये..................................में दिनांक ....

   से संस्था मेसर्स ....

   में कार्यरत हूँ और माहवारी कुल वेतन नियमित/संविदा रूप से नियोक्ता के कार्यालय से प्राप्त कर रहा हूँ जिसका रिकार्ड कभी भी देखा जा

   सकता है। संस्थान का पंजीयन क्रमांक..है एवं दूरभाष क्रमांक ....

   ....है।

2. मैंने नियमित छात्र के रूप में अन्य किसी संस्था में सत्र ....में प्रवेश नहीं लिया है।

3. मैं अपना स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत कर दूँगा । मैं डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र गुम हो गया है। मैंने अन्य किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं लिया था।

4. मैंने अपने नियोक्ता से निर्धारित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तथा प्रत्येक सेमेस्टर में प्रवेश के समय तकनीकी कार्य पर कार्यरत रहने का तथा कक्षाओं में अध्ययन करने की अनुमति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता रहूँगा।

5. यह कि मैं दैनिक वेतन पर कार्यरत नहीं हूँ।

6. यदि किसी भी स्तर प्राचार्य द्वारा या अन्य किसी अधिकारी के द्वारा पाया गया कि उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक मैंने जो जानकारी प्रवेश के संबंध में दी है वह गलत है अथवा तकनीकी कार्य पर कार्यरत नियमित सेवा में कार्यरत नहीं हूँ तो मेरा प्रवेश बिना सूचना के कभी भी निरस्त कर दिया जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं... पुत्र/पुत्री/पति श्री..
..........................उम्र.........................जिला....................................तहसील...
यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 तक दिया गया विवरण मेरी जानकारी से सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र क्रमांक.............................. आवेदक का नाम..

अंश कालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जॉच पत्रक

1. आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक ☐ हॉ ☐ नहीं
   (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को)
2. शैक्षणिक योग्यता ☐ 10+हाईस्कूल गणित विज्ञान सहित अथवा समकक्ष
   10+हाईस्कूल अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची संलग्न ☐ हॉ ☐ नहीं.
3. उच्च शैक्षणिक योग्यता ☐ (10+2) हायर सेकेण्डरी भौ. रसा.गणित से (10+2) हायर सेकेण्डरी
   परीक्षा की अंकसूची संलग्न ☐ है ☐ नहीं ☐ बी.एस.सी. या उच्च परीक्षा
   भौतिक रसायन,गणित से बी.एस सी. या परीक्षा की अंकसूची संलग्न ☐ है ☐ नहीं.
4. तकनीकी योग्यता ☐ आई.टी.आई.
   ☐ एप्रेंटिसशिप
   ☐ टेक्नीकल स्कूल (वोकेशनल कोर्स)
   तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न ☐ है ☐ नहीं.
5. जाति ☐ अनुसूचित जाति
   ☐ अनुसूचित जनजाति
   ☐ पिछड़ा वर्ग
6. अनुभव ☐ शासकीय विभाग
   ☐ सार्वजनिक प्रतिष्ठान
   ☐ प्रायवेट संस्थान
   ☐ ठेकेदार (सिविल/विद्युत)
7. आवेदन पत्र नियोक्ता कार्यालय द्वारा अग्रेषित किया गया ☐ है ☐ नहीं
8. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न ☐ है ☐ नहीं
9. वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त नियुक्ति पत्र संलग्न ☐ है ☐ नहीं
10. पूर्ववर्ती नियुक्ति आदेश की फोटो कापी ☐ है ☐ नहीं
11. कर्मचारी भविष्य निधि खाता क्र.अनुभव प्रमाण पत्र में संलग्न ☐ है ☐ नहीं
12. सेवा अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित हैः-
    1. शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्रतिष्ठान में कार्यरत ☐ है ☐ नहीं
       आवेदक के विभागीय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित.
    1. प्रायवेट संस्थान/उद्योगों में कार्यरत आवेदक का आवेदन पत्र श्रम पदाधिकारी/जिलाउद्योग केन्द्र द्वारा
       प्रतिहस्ताक्षरित ☐ है ☐ नही
    3. सिविल ठेकेदार के पास कार्यरत आवेदक विद्युत लायसेंसिंग ☐ है ☐ नहीं
       निरीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर
    4. विद्युत ठेकेदार के पास कार्यरत आवेदक विद्युत लायसेंसिंग ☐ है ☐ नहीं
13. आवेदक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पताः:
14. आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता ☐ है ☐ नही

जॉच प्रभारी